बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
<u>(भू–अर्जन निदेशालय)</u>

दिनांक–10.01.2019 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

---

1. उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

2. सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों, एन0एच0ए0आई0, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, और रेलवे के अधिकारियों का निदेशक, भू–अर्जन द्वारा स्वागत किया गया।

3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एन0एच0ए0आई0 सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं रेलवे द्वारा संचालित एवं कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जिलावार एवं परियोजनावार समीक्षा की गयी।

4. एन0एच0–333B (गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल–सह–सड़क पुल का पहुँच पथ–बेगूसराय एवं मुंगेर):–

इस परियोजना के अन्तर्गत मुंगेर जिले के 34 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन एवं भू–हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 90.00 करोड रू0 में से 44.10 करोड रू0 का वितरण किया जा चुका है। 26.25 हे0 भूमि का दखल कब्जा एन0एच0ए0आइ0 को सौंप दिया गया है। 04 ग्रामों में 3डी में सुधार किया जाना है। टोपोलैण्ड भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई की जानी है। इस हेतु टोपोलैण्ड भूमि पर निर्मित संरचना का प्राक्कलन तैयार करने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत बेगूसराय जिले में 05 राजस्व ग्रामों से संबंधित 3G प्राकक्लन प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा स्वीकृत राशि–26.00 करोड़ में से 24.34 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। एन0एच0ए0आइ0 द्वारा राशि उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अवशेष मुआवजा भुगतान हेतु जिला स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। 7.78 हे0 भूमि का कब्जा एन0एच0ए0आइ0 को सौंप दिया गया है। अवशेष मुआवजा भुगतान तीव्रगति से किये जाने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया। अर्जित भूमि पर निर्मित मंदिरों को भी स्थानांतरित किये जाने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

5. एन0एच0–107 (सहरसा–मधेपुरा–खगड़िया एवं पूर्णियाँ) :–

सहरसा जिलें में कुल–16 राजस्व ग्रामों में 84.326 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। 10 राजस्व ग्रामों का 3जी प्रस्ताव स्वीकृत है। 05 3जी0 प्रस्ताव एन0एच0ए0आइ0 की स्वीकृति हेतु लंबित है। शेष जिला स्तर पर प्रकियाधीन है। 4 ग्रामों में भूमि का प्रकृति निर्धारित किया जाना है।

मधेपुरा जिला में अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। नोटिस निर्गत होने के बाद भी मुआवजा नहीं लेने एवं अन्य कारणों से लंबित मुआवजा राशि को न्यायालय में जमा कर भूमि पर दखल कब्जा दिया जाना है। पैकेज–2 में 04 ग्रामों का संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव भेजा जाना है। 6 ग्रामों का संशोधित प्राक्कलन CALA स्तर

पर लंबित है। प्रधान सचिव द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों से संबंधित प्राक्कलन प्रस्तावों को शीघ्र एन0एच0ए0आइ0 को भेजा जाय।

पूर्णियां जिला में अवशेष मुआवजा भुगतान तीव्र गति से किये जाने का निदेश दिया गया। 06 राजस्व ग्रामों में से 02 राजस्व ग्राम का प्राक्कलन स्वीकृत है। 04 में से 02 राजस्व ग्राम का 3जी एन0एच0ए0आइ0 को भेजा गया है। शेष प्रस्ताव को यथाशीघ्र भेजने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियां को दिया गया।

6. एन0 एच0–527C (मंझौली–दरभंगा–चिरौत) :–

इस परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिलें में 85.85 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। मुआवजा राशि वितरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। मुआवजा भुगतान के लिए 196.00 करोड रू0 प्राप्त है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान हेतु बोचहां, गायघाट एवं कटरा अंचल में कैम्प का आयोजन कर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

मधुबनी जिला में 03 राजस्व ग्राम में 7.674 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिससे संबंधित 3G प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृत है। 32.53 करोड राशि का वितरण किया जा चुका है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा अवशेष मुआवजा भुगतान तीव्रगति से किये जाने तथा सरकारी भूमि की पहचान कर उनके हस्तांतरण हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

सीतामढ़ी जिला में 14 राजस्व ग्राम में से 13 राजस्व ग्राम का 3जी स्वीकृत है। 08 राजस्व ग्रामों में भूमि पर दखल कब्जा दिया जा चुका है। एक राजस्व ग्राम में 3जी प्रस्ताव CALA स्तर पर लंबित है। लंबित 3जी प्रस्ताव एन0 एच0 ए0 आई को भेजने एवं मुआवजा भुगतान यथाशीघ्र करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

दरभंगा जिला में कुल राजस्व ग्प्रमों की सं0 03 है एवं तीनों राजस्व ग्रामों का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु एन0एच0ए0आइ0 में लंबित है। 03 राजस्व ग्राम में 8.53 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है।

7. एन0 एच0–31(खण्ड) औंटा–सिमरिया के बीच गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माणः–

इस परियोजनान्तर्गत पटना जिलें के कुल–08 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं मुआवजा भुगतान हेतु कुल प्राप्त राशि–65.00 करोड रू0 में से 45.00 करोड रू0 का वितरण किया जा चुका है। कुल प्राक्कलित राशि 108.13 करोड रू0 है। प्रधान सचिव द्वारा एन0एच0ए0आइ0 से अवशेष राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि अधिग्रहण की जानेवाली भूमि में पटना एवं बेगूसराय के बीच सीमांकन से संबंधित मुद्दों का निस्तारण यथाशीघ्र किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

8. एन0 एच0–80 (मुंगेर–मिर्जाचौकी) :–

मुंगेर जिले में कुल 36 राजस्व ग्रामों में भूमि अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना अंतर्गत अर्जित की जानेवाली भूमि का रकवा 117.12 हे0 है। सभी राजस्व ग्प्रमों का 3ए का प्रकाशित हो चुका है। 18 ग्रामों का 3डी0 एन0एच0ए0आइ0 के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष ग्रामों में छः सदस्यीय समिति द्वारा भूमि की प्रकृति का निर्धारण किया जाना है। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी कार्रवाईयों को एक सप्ताह के अंदर पूरा किये जाने का निदेश दिया गया।

भागलपुर जिला अंतर्गत कुल 92 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन प्रक्रियाधीन है, जिसके लिए 3ए की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।

9. एन0 एच0–131A (नरेनपुर–पूर्णियाँ–कटिहार) :–

पूर्णियाँ जिला में 08 राजस्व ग्रामों से संबंधित 18.12 हे0 भूमि के अर्जन हेतु 3जी प्रस्ताव CALA स्तर पर प्रकियाधीन है। प्रधान सचिव द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियां को निदेश दिया गया कि दिनांक 30.01. 2019 तक इसकी प्रकिया पूर्ण कर ली जाय।

इस परियोजना अन्तर्गत कटिहार जिले में परियोजना निदेशक, एन0 एच0 ए0 आई0, साहेबगंज के क्षेत्रान्तर्गत 09 राजस्व ग्रामों में 131.96 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है जिसके लिए प्राप्त राशि–39.43 करोड रू0 में से 29.84 करोड रू0 मुआवजा का भुगतान रैयतों को किया जा चुका है। कुल 09 राजस्व ग्रामों में से 08 राजस्व ग्राम का प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। एक राजस्व ग्राम की भूमि के प्रकृति एवं दर का निर्धारण जिला स्तर पर लंबित है। प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 20.01.2019 तक लंबित मामलों की प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

कटिहार जिले में परियोजना निदेशक, एन0 एच0 ए0 आई0, पूर्णियाँ के क्षेत्रान्तर्गत 31 राजस्व ग्राम में 155. 471 हे0 भूमि का अर्जन प्रकियाधीन है। 14 ग्रामों का 3जी प्राक्कलन एन0एच0ए0आई0 को भेजा गया था परन्तु एन0एच0ए0आइ0 द्वारा आपति के साथ वापस किया गया है। आपति की निराकरण, जिला स्तर पर लंबित है।

10. एन0 एच0–83 (पटना–गया–डोमी खण्ड) :–

इस परियोजना अन्तर्गत गया जिले में 29.16 हे. अनावाद बिहार सरकार की भूमि का हस्तांतरण प्रकियाधीन है। प्राप्त राशि 568.00 करोड है, जिसमें से 266.5 करोड रू0 का भुगतान रैयतों को किया जा चुका हैं। प्रधान सचिव द्वारा सरकारी भूमि की हस्तांतरण यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया।

11. एन0 एच0–82 (बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा खण्ड) :–

इस परियोजनान्तर्गत नालन्दा जिले में कुल प्राप्त राशि–143.85 करोड़ में से 133.4 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रकियाधीन है। गिलानी, सारे, सरमेरा एवं कैला में अतिकमण हटाने की कार्रवाई जिला स्तर पर लंबित है। गिलानी मौजा में एलाइन्मेंट के कारण कार्य बाधित है। गिलानी, सारे, सरमेरा एवं कैला में अतिकमण हटाने की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिया गया।

12. एन0 एच0–30–84 (पटना–बक्सर खण्ड) :–

इस परियोजनान्तर्गत भोजपुर जिला (कोईलवर–भोजपुर खण्ड) में कुल स्वीकृत राशि 404.59 करोड रू0 में से एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा 134.02 करोड रू0 उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से 112.16 करोड रू0 का वितरण किया जा चुका है। 55 राजस्व ग्रामों में से 54 राजस्व ग्रामों का दिनांक 01.01.2014 के दर पर संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत है। लगभग 23.00 एकड पर कब्रिस्तान/ऑफसेट के कारण एन0एच0ए0आइ0 द्वारा भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। जिसके कारण भुगतान लंबित है। 08 ग्रामों में दखल कब्जा दिया जाना है, जिसकी प्रकिया दस दिनों में पूर्ण करने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को प्रधान सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

बक्सर जिला में प्राप्त राशि 327.22 करोड रू0 में से 197.00 करोड का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

13.एन0 एच0–2 (औरंगाबाद–चोरदाहा खण्ड) :–

इस परियोजनान्तर्गत औरंगाबाद जिले में कुल राजस्व ग्राम की सं0 26 है। चोरदाहा खण्ड में मुआवजा की राशि का वितरण कैम्प आयोजित कर यथाशीघ्र किये जाने तथा सरकारी भूमि का हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। एन0 एच0–2 (औरंगाबाद–बाराणसी खण्ड) हेतु मुआवजा भुगतान का निष्पादन यथाशीघ्र किये जाने का भी निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

14. वैशाली (हाजीपुर–सुगौली नई रेल लाईन निर्माण):–

इस परियोजनान्तर्गत वैशाली जिले के अरड़ा में 5.75 एकड़ भूमि के भू–अर्जन की कार्रवाई भूमि के स्वामित्व के विवाद के कारण 275 मीटर में कार्य बाधित थी। प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबंधी विवाद का निराकरण विभाग स्तर से कर दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा माह के अंत तक उक्त भूमि पर दखल कब्जा अधियाची विभाग को दिये जाने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को दिया गया।

15. मुजफ्फरपुर (हाजीपुर–सुगौली नई रेल लाईन निर्माण):–इस परियोजना के संबंध में रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ जमीनों पर दखल कब्जा जिला प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है एवं रैयतों को मुआवजा का भुगतान भी काफी धीमी गति से किया जा रहा है।

16. सुपौल (निर्मली–कोशी ब्रिज–सरायगढ नई रेल लाईन):–

इस परियोजनान्तर्गत सुपौल जिला में कुल रकवा 0.1 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। भू–अर्जन हेतु राशि अप्राप्त है।

17. सीतामढी (जयनगर भाया सुरसंड)–

इस परियोजना हेतु प्राक्कलित राशि 294.00 करोड है एवं कुल रकवा 325.598 एकड है। मुआवजा हेतु रेलवे द्वारा राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस हेतु प्रधान सचिव द्वारा रेलवे के पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि राशि यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

18. पटना (बाढ–बख्तियापुर बडी रेल लाईन परियोजना)–

इरा परियोजना में पटना जिलान्तर्गत जमालपुर में तीन बेलगानी भूमि है एवं 13 संरचनाएँ अवस्थित है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए रेलवे को दखल कब्जा दिलाया जाय। मोहम्मदपुर–मिरदाहाचक में बकाश्त भूमि का मामला डी0सी0एल0आर0 के न्यायालय में लंबित है, जिसके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

19 पटना (नेउरा–दनियावाँ रेल लाईन)

इस परियोजना हेतु भुसौला में तीन छूटे हुए रकवा के अर्जन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा किये जाने एवं एक राजस्व ग्राम में भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने के निमित एस0आइ0ए0 किये जाने हेतु दिनांक–14.01.2019 तक प्रक्रिया पूर्ण किये जाने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया तथा जिन मामलों में कोर्ट से स्थगन आदेश है, उस हेतु स्थगन आदेश समाप्त करने हेतु रेलवे एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना को सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से स्थगन समाप्त किये जाने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

20. गया (बधुआ से पैमार रेलवे लाईन बाइपास)–

इस परियोजना हेतु प्रथम चरण में चार ग्रामों में 4.426 एकड भूमि एवं द्वितीय चरण में 9 ग्रामों में 74.00 एकड भू अर्जन की कार्रवाई की जानी है। बैजल, तेतरिया, भसिया कला एवं मझौली में रैयतों द्वारा आपति की गई है, जिसके निराकरण हेतु प्रधान सचिव द्वारा आवश्यक निदेश दिया गया।

बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– पटना, दिनांक–..................2019

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– पटना, दिनांक–..................2019

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0–63, प्रथम तल, श्रीकृष्णापुरी पटना–800001 एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– पटना, दिनांक–..................2019

प्रतिलिपिः–अधिशाशी अभियंता, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, तृतीय तल, कर्पूरी ठाकुर सदन, आशियाना–दीघा रोड, पटना–800025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– पटना, दिनांक–..................2019

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– पटना, दिनांक–..................2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– पटना, दिनांक–..................2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– २२२/२७० पटना, दिनांक–21.02.2019

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/2/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।